न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 3774–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13–02–2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक 34–बी–121/2014–15

1– सुधर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
2– राजाराम पुत्र खुमाना सिंह
3– चेताराम पुत्र राम सेई
4– जहेन्द्रसिंह पुत्र पैजाराम
5– पंचमसिंह पुत्र चेताराम
6– रामनिवास पुत्र पैजाराम
7– अतरसिंह पुत्र पैजाराम
8– श्रीलाल पुत्र रघुवर सिंह
9– भाव सिंह पुत्र चेताराम
11–परमालसिंह पुत्र गुलाब सिंह
12–भत्तू पुत्र सोखलिया
सभी निवासीगण पारागढ़ तहसील नरबर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी --अनावेदक

(श्री बृजेन्द्र धाकड़ अभिभाषक – आवेदकगण)
(अनावेदक के पैनल अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(दिनांक 22 दिसम्बर, 2015)

अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 34–बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13–2–2015 अंकित करते हुये यह निगरानी विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर शिवपुरी के पत्र कमांक नजूल/14/404 दिनांक 24-1-15 से गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन प्रस्ताव चाहे जाने पर प्रकरण कमांक 34/बी-121/2014-15 पंजीबद्ध हुआ एंव तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 29-1-15 से पटवारी से रिपोर्ट मांगते हुये आपत्ति आमंत्रण हेतु इस्तहार जारी करने के आदेश दिये। पटवारी हलका नंबर 27 ग्राम पारागढ़ ने तहसीलदार नरबर को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम पारागढ़ में सरकारी समिति के गोदाम निर्माण हेतु शासकीय सर्वे नंबर 892 रकबा 2.24 हैक्टर में से 1.24 है. साख सहकारी संस्था मर्यादित सीहोर को कलेक्टर शिवपुरी के प्र0क्र0 15/2012-13 अ 59 आदेश दिनांक 15-2-12 से एंव अनुविभागीय अधिकारी करैरा के प्र.क्र. 90/2012-13 बी 121 में आदेश दिनांक 1-1-2013 से भण्डार एंव गोदाम के लिये सुरक्षित की गई है जिसका अमल राजस्व अभिलेख में हो चुका है। अतः उपरोक्त भूमि का आबंटन संबंधित विभाग को किये जाने हेतु प्रस्ताव पेश है। तहसीलदार नरबर ने नियत अवधि में आपत्तियॉ न आने पर जांच प्रतिवेदन दिनांक 13-2-15 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी को भेजा है, परन्तु आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 34-बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13-2-2015 अंकित करते हुये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के एंव अनावेदक के पैनल अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 34/

बी-121/2014-15 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है अपितु इस प्रकरण में मात्र तहसीलदार व्दारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2015 लिखा है। आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि सर्वे नंबर 892 की भूमि पर आवेदकगण के पूर्वजों के समय से कच्चे पक्के मकान बने हुये हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश दिनांक 13-2-15 निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13-2-2015 , जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने निगरानी प्रस्तुत की है, प्रस्तुत नहीं किया है । अतः निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार नरबर ने वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 13.2.15 को जांच रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी करैरा को प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय अधिकारी करैरा के यहां प्रकरण में आगामी कार्यवाही होना है जहां आवेदकगण भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन-योग्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर